प्रेस नोट
दिनांक 13.08.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये गए विशेष अभियान के तहत 173 नफर गैर जमानतीय वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वांछित व गैर–जमानती वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु **कल रात्रि 12:00 बजे से 2:00 बजे** तक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान को सफल बनाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारी व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि वे अपने–अपने थाना क्षेत्रों में लंबित गैर–जमानती वारंटियों एवं वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करें।

उक्त अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत व अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारियों के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीमों का गठन कर कार्यवाही की गई। इस विशेष अभियान के अंतर्गत जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस टीमों द्वारा कुल 173 गैर–जमानती वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। थाना–वार गिरफ्तारी का विवरण निम्नानुसार है– थाना को0 नगर पुलिस ने 18, थाना को0 देहात पुलिस ने 19, थाना इटियाथोक पुलिस ने 06, थाना खरगूपुर पुलिस ने 19, थाना मनकापुर पुलिस ने 12, थाना धानेपुर पुलिस ने 02, थाना छपिया पुलिस ने 09, थाना खोड़ारे पुलिस ने 10, थाना मोतीगंज पुलिस ने 06, थाना तरबगंज पुलिस ने 07, थाना नवाबगंज पुलिस ने 16, थाना वजीरगंज पुलिस ने 06, थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने 13, थाना को0 कर्नलगंज पुलिस ने 22, थाना परसपुर पुलिस ने 03, थाना कटराबाजार पुलिस ने 02 व थाना कौड़िया पुलिस ने 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 13.08.2025

थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा दहेज हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दावाच्या के नेतृत्व में थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–184/25, धारा 85,82(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त–राजाराम उर्फ भग्गन पुत्र लक्ष्मीनारायण नि0 नरायना पुर खुर्द दा0 बिकरवा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को मैजापुर चीनी मिल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 30.07.2025 को वादी राजेश कुमार पुत्र रामदुलारे नि0 लेग्गड जोत दा0 पूरे शिव सहाय विशेशरगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना मोतीगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री की शादी दिनांक 25.06.2023 को थाना कटराबाजार क्षेत्रान्तर्गत नरायनापुर खुर्द के रहने वाले कपिल कश्यप के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही मेरी पुत्री को उसके पति व परिजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था तथा दिनांक 29/30.07.2025 की रात्रि को दहेज की मांग के चलते हुए प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कटराबाजार में नामजद 06 अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 13.08.2025 को थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपी अभियुक्त राजाराम उर्फ भग्गन पुत्र लक्ष्मीनारायण नि0 नरायना पुर खुर्द दा0 बिकरवा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को मैजापुर चीनी मिल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. राजाराम उर्फ भग्गन पुत्र लक्ष्मीनारायण नि0 नरायना पुर खुर्द दा0 बिकरवा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–184/25, धारा 85,82(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 शिवम गुप्ता।
02. का0 ओमप्रकाश।
03. का0 राम सिंह।
04. का0 जया दीक्षित।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 13.08.2025

थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–22/25, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त–आदित्य कश्यप उर्फ शिब्बू को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
आज दिनांक 13.08.2025 को प्र0नि0 मोतीगंज अरविन्द यादव मय हमराह फोर्स के साथ शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त आदित्य कश्यप उर्फ शिब्बू को सुभाषनगर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का एक आपराधिक गिरोह है जो भौतिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु लूट/छिनैती की घटनाओं को कारित किया करते है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. आदित्य कश्यप उर्फ शिब्बू पुत्र सुरेन्द्र कश्यप उम्र 20 वर्ष निवासी सुभाषनगर म0न0 179 थाना को0 नगर गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–22/25, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास–
01. मु0अ0सं0–135/24, धारा 394,341,504,506,411,120बी भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–165/24, धारा 394,411,143,120बी भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
प्र0नि0 अरविन्द यादव थाना मोतीगंज मय टीम।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेसनोट
दिनांक 13.08.2025

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अवैध रूप से बन्दी बनाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–252/25, धारा 191(2),127(2),308(5),351(3),115(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रजत सिंह पुत्र मनहरण सिंह नि0 विशुनपुर बैरिया थाना को0 देहात जनपद गोण्डा को अन्दूपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 03.06.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 02.06.2025 को अभियुक्तगण 1. शिवकुमार चौबे 2. खुशीराम वर्मा व 3. नीरज सिंह उर्फ नील ठाकुर द्वारा पैसों के लेनदेन को लेकर मुकेश पुत्र लोद्धर नि० ग्राम टिकरिया थाना को० देहात जनपद गोण्डा को जनपद वाराणसी से अपहरण कर गोण्डा लाकर एक होटल में बंधक बनाकर मारा पीटा गया और 07 लाख रुपए फिरौती की मांग करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई है। सूचना पर थाना को०देहात पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर तत्परता से कार्यवाही करते हुए उक्त घटना में प्रयुक्त वाहन स्कॉर्पियो को बरामद कर उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आज दिनांक 13.08.2025 को थाना को0 देहात पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त रजत सिंह पुत्र मनहरण सिंह नि0 विशुनपुर बैरिया थाना को0 देहात जनपद गोण्डा को अन्दूपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. रजत सिंह पुत्र मनहरण सिंह नि0 विशुनपुर बैरिया थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–252/25, धारा 191(2),127(2),308(5),351(3),115(2) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. अति0प्र0नि0 संतोष कुमार सिंह।
02. उ0नि0 सौरभ कुमार।
03. हे0का0 देवानन्द वर्मा।

मीडिया सेल, गोण्डा।